संख्या:11 /2019 /608 / सत्रह-म-2019-6-9 (175) /2017 टी0सी0

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनाक 03 जून,2019

विषय मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बंध में मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या-आर0बी0आई0/2018-19/112 एफ0आई0डी0 सी0ओ0 एफ0एस0डी0बी0सी012/0505010/2018-19 दिनांक 04.02.2019 एवं तत्क्रम में निर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या- 25-1(07) /2018 ए0एच0डी0 दिनांक 11.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में मुख्यतया ग्राम सभा के तालाबों के पट्टा धारकों द्वारा तथा निजी भूमि पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्रों में ग्राम सभा के तालाबों के पट्टा धारक, निजी भूमि पर तालाब निर्माण कराने वाले व्यक्ति, निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन करने वाले हैचरियों के स्वामी तथा मत्स्य बीज रियरिंग इकाईयों के स्वामी को किसान क्रेडिट कार्ड हेतु लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रदेश में विगत वर्ष तक कुल 75,112 व्यक्ति ग्राम सभा के तालाब, पट्टे पर प्राप्त कर चुके हैं। अतः वर्ष 2019-20 में उक्त के सापेक्ष प्रथम चरण में जनपदवार कुल 10,753 लाभार्थियों को मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का तहसीलवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित दिशा- निर्देशों के क्रम में मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बंध में जिलाधिकारीगण अपनी अध्यक्षता में मत्स्य पालन निवेशों (इनपुटस) हेतु ऋण सीमा का निर्धारण (scale of finance) कराते हुए माह जून-जुलाई में कैम्प लगाकर अभियान के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कराने का कष्ट करें।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- इस सम्बंध में यह भी निदेशित किया जाता है कि कृपया जिला स्तर एवं मण्डल स्तर पर गठित बैंकर्स समन्वय समिति की बैठकों में मत्स्य पालन हेतु निर्गत किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति समीक्षा करते हुए अभियान को सफल बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

**संख्या : 11/2019/608 (1)/सत्रह-म- 2019 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महाप्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, अंचल कार्यालय बडौदा हाउस बी-23 विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।
2- मुख्य महाप्रबन्धक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लखनऊ विपिन खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।
3- मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ विपिन खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।
4- सचिव, संस्थागत वित्त उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
6- निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको के प्रमुख।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।